

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 738/2024

1. भारत संघ, सचिव के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय, रायसीना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110011।
 2. वायु सेना प्रमुख, वायु मुख्यालय वायु भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110011।
 3. वायु अधिकारी कमांडिंग इन-चीफ, मुख्यालय, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, गांधीनगर, गुजरात - 382010।
 4. वायु अधिकारी कमांडिंग, वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली - 110010।
 5. वायु अधिकारी कमांडिंग, नंबर 33 सिग्नल यूनिट, वायु सेना (जोधपुर), सी/ओ 56 एपीओ।
- अपीलकर्ता

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री मंगू राम, आयु लगभग 35 वर्ष, सार्जेंट, ट्रेड - ऑटो फिट, नंबर 33 सिग्नल यूनिट, वायु सेना (जोधपुर), सी/ओ 56 एपीओ

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री मुकेश राजपुरोहित, उप महानिरीक्षक,

सुश्री डिंपल राजपुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री डी.एस.ढाका

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी
माननीय श्री न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

06/09/2024

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे. के अनुसार:

1. यह विशेष अपील इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4797/2024 में पारित दिनांक 04.04.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री मुकेश राजपुरोहित और अपीलकर्ताओं (रिट याचिका में प्रतिवादी) की ओर से उपस्थित सुश्री डिंपल पुरोहित द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वे हैं कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार 28.03.2007 को भारतीय वायु सेना में भर्ती हुए थे, और 33 एसयू, वायु सेना इकाई, जोधपुर में 15.03.2007 से पदस्थ थे।

2.1. तत्पश्चात, दिनांक 08.02.2024 के स्थानान्तरण आदेश के तहत, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को 06.05.2024 से जोधपुर से 314 टीआरयू (दरभंगा, बिहार) में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है। प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, इस आधार पर कि उनकी मां अस्वस्थ हैं, पत्नी एक सरकारी कर्मचारी (जोधपुर में तैनात) है और उनकी बेटी पांच वर्ष की है; हालांकि, अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

2.2. इस प्रकार, दिनांक 08.02.2024 के उक्त स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.02.2024 के आदेश के विरुद्ध इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4794/2024) प्रस्तुत की, जिसे विद्वान एकल पीठ ने दिनांक 04.04.2024 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दे दी, तथा दिनांक 08.02.2024 के आदेश को रद्द कर दिया, तथा प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता के संबंध में अपीलकर्ताओं को दिनांक 24.02.2020/24.11.2022 की पोस्टिंग नीति में निहित सह-स्थानीय पोस्टिंग के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की पुत्री की आयु के साथ-साथ यह तथ्य भी ध्यान में रखा गया कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने जोधपुर में 7 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है; यह भी निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता का कार्यकाल उसकी बेटी की आयु 10 वर्ष होने तक या जोधपुर में उसकी 7 वर्ष की सेवा पूरी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाए।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि वायु सेना मुख्यालय मानव संसाधन नीति भाग-II/पीए (एयर वॉरियर)/पीडी/01/2020 दिनांक 24.02.2020 (संक्षेप में, '2020 की नीति') को वायु सेना मुख्यालय मानव संसाधन नीति भाग-II/पीए/पीडी/01/2022 दिनांक 24.11.2022 (संक्षेप में, '2022 की नीति') द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 2022 की नीति के पैरा 29 के अनुसार, "एयरमैन को यथासंभव टीपीयू पर अनुरोधित स्थान पर तैनात किया जाएगा और कार्यकाल संगठनात्मक आवश्यकता द्वारा संचालित उपयोग पर निर्भर करेगा"।

3.1. विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.03.2021 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की पोस्टिंग

सह-स्थान के आधार पर पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि 2022 की नीति के पैरा 21-32 द्वारा शासित एक 'अनुरोध पोस्टिंग' थी; उक्त अनुरोध पोस्टिंग दो साल के कार्यकाल के लिए प्रतिबंधित थी और प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने पहले ही उक्त पोस्टिंग कार्यकाल पूरा कर लिया है, और इस प्रकार, अनुरोध पोस्टिंग पर 2 साल के सामान्य कार्यकाल से परे किसी भी विस्तार के लिए हकदार नहीं था।

3.2. विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि एयरमैन को शुरू में 20 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, और उसे विभिन्न स्थानों जैसे हार्ड एरिया, फील्ड एरिया, मॉडिफाइड फील्ड एरिया, नॉर्थ ईस्ट आदि पर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि होम जोन पोस्टिंग एक एयर वॉरियर के लिए अनुकंपा के आधार पर 2 साल के लिए आरक्षित है, वह भी योग्यता के आधार पर, आम तौर पर एक सीमित अवधि के लिए; यदि 20 वर्षों में से, संबंधित एयर वॉरियर को होम जोन में 7 साल बिताने की अनुमति दी जाती है, उसके बाद सभी एयर वॉरियर के लिए समान व्यवहार की मांग की जाती है और दी जाती है, तो रक्षा बलों का प्रशासन और अनुशासन, विशेष रूप से रक्षा संचालन के संबंध में, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, या ध्वस्त हो जाएगा।

3.3. विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि पोस्टिंग आदेश, जैसा कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त रिट याचिका में चुनौती दी है, प्रशासनिक आवश्यकताओं पर पारित किया गया था।

3.4. विद्वान उप महाधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय पारित करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनिल कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4687/2022, दिनांक 14.07.2023 को निर्णीत) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया तथा

डी.बी. विशेष अनुमति रिट याचिका संख्या 841/2023 में माननीय खंडपीठ द्वारा दिनांक 02.02.2024 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की; माननीय खंडपीठ के उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 25134/2024 में चुनौती दी गई, जिसमें दिनांक 15.07.2024 के आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि माननीय खंडपीठ के आदेश को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर उद्धृत नहीं किया जाएगा। इसलिए, विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, विद्वान सिंगल बेंच द्वारा पारित विवादित आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

3.5. इस तरह के तर्कों के समर्थन में, विद्वान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: (ए) श्रीमती शिल्पी बोस और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 1991 सप (2) एससीसी 659; (बी) भारत संघ और अन्य बनाम एस.एल. अब्बास (1993) 4 एससीसी 357; (सी) मेजर जनरल जे.के. बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (2005) 7 एससीसी 227; (डी) मेजर आमोद कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 18 एससीसी 478;

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की पत्नी राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में राजकीय विद्यालय, डीडवाना में पदस्थापित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 2020 की नीति के अनुसार जोधपुर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया था; वर्ष 2020 की नीति के खंड 29 के अनुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

4.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की केवल 5 वर्ष की एक पुत्री है, तथा प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को उससे दूर रखने से पुत्री के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता 2020 की नीति के अनुसार 7 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा होने तक या उसकी बेटी के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, जोधपुर में तैनात रहने का हकदार है, और इस प्रकार, विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का वारंट नहीं करता है।

4.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि विभिन्न वायु सेना स्टेशनों पर कई वायु योद्धा तैनात हैं और उन्होंने एक विशेष पोस्टिंग पर 6 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, और वे 2020 की नीति का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए, दिनांक 08.02.2024 के स्थानांतरण आदेश को विद्वान एकल पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से सही रूप से रद्द कर दिया गया था।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को 08.03.2021 के आदेश के तहत 10.05.2021 से व्यापार ड्यूटी के लिए 33 एसयू, वायुसेना इकाई, जोधपुर में सह-स्थानीय पोस्टिंग पर तैनात करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद, 08.02.2024 के स्थानांतरण आदेश के तहत, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को 06.05.2024 से 314 टीआरयू (दरभंगा, बिहार) में तैनात किया गया है। प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका पेश की, जिसे इस माननीय

न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने उपरोक्त आदेश के तहत, जैसा कि बताया गया है, अनुमति दी।

7. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि 2020 की नीति को 2022 की नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह न्यायालय यह भी देखता है कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 08.03.2021 के आदेश के अनुसार, जोधपुर में नंबर 33 सिग्नल यूनिट एयर फोर्स में “सह-स्थान पर पोस्टिंग” के आधार पर तैनात किया गया था, जो उसे “अनुरोध पोस्टिंग” की श्रेणी में रखता है और इसे 2022 की नीति के खंड 21 से 32 के तहत कवर किया गया था। 2022 की नीति के खंड 24 के नोट 3 के अनुसार, “सभी अनुरोध पोस्टिंग आम तौर पर दो साल की प्रतिबंधित अवधि के लिए होंगी, जब तक कि टीपीयू/सेवा आधार/मामले की योग्यता पर विचार न किया जाए”। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 08.03.2021 के आदेश के तहत जोधपुर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया था, और उसके बाद जोधपुर में 2 वर्ष की पदस्थापना अवधि पूरी होने के बाद दिनांक 08.02.2024 के आदेश के तहत दरभंगा (बिहार) में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि पूर्वोक्त नोट 3 में निहित शर्त, निर्धारित 2 वर्ष की अवधि से परे स्वतः हकदारी के संबंध में वर्तमान मामले में लागू नहीं है। नीति 2022 के खंड 24 का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

"24. कोई एयरमैन घरेलू मुद्दों या किसी अन्य अनुकंपा के आधार पर किसी विशिष्ट स्थान पर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है। सामान्यतः पोस्टिंग यथासंभव टीपीयू में की जानी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, एयरमैन को ट्रेड ड्यूटी मैनिंग लेवल (एमएल) को भरने के लिए उसके अनुरोध के स्थान पर सिस्टम से बाहर पोस्ट किया जा सकता है, हालांकि, ऐसी पोस्टिंग का कार्यकाल आम तौर पर केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए होगा और यह

संगठनात्मक आवश्यकता द्वारा संचालित होगा। पोस्टिंग के लिए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले आधार हैं जिनके लिए प्रासंगिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन आधारों पर पोस्टिंग के लिए आवेदन का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट एम के रूप में रखी गई है। नोट: 1 से 2.
.

3. सभी अनुरोधित पोस्टिंग आम तौर पर दो साल की सीमित अवधि के लिए होंगी, जब तक कि टीपीयू/सेवा आधार/मामले की योग्यता पर विचार न किया जाए।"

8. न्यायालय ने यह भी माना है कि 2022 की नीति के खंड 29 के अनुसार, एयरमैन को यथासंभव टीपीयू (ट्रेड प्रोफिशिएंसी यूटिलाइजेशन) पर अनुरोधित स्थान पर तैनात किया जाएगा और कार्यकाल संगठनात्मक आवश्यकता द्वारा संचालित उपयोगिता पर निर्भर करेगा। वर्ष 2022 की नीति के खंड 29 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"29. सह-स्थानीय पोस्टिंग - (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत पति/पत्नी)। इस विषय पर समय-समय पर संशोधित भारत सरकार की नीति के अनुसार, जहाँ तक संभव हो और प्रशासनिक व्यवहार्यता की सीमाओं के भीतर, पति और पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्ट किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकें और अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, खासकर जब तक कि बच्चे टीपीयू के आधार पर दस वर्ष की आयु के न हो जाएँ। एयरमैन को यथासंभव टीपीयू में अनुरोधित स्थान पर पोस्ट किया जाएगा और कार्यकाल संगठनात्मक आवश्यकता द्वारा संचालित उपयोग पर निर्भर करेगा। जिन एयरमैन के पति/पत्नी केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी हैं, वे ही सह-स्थानीय पोस्टिंग के लिए विचार के पात्र हैं। हालाँकि, यह विशेषाधिकार उन एयरमैन

के लिए लागू नहीं है जिनकी पत्नी केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में काम कर रही है। नियुक्ति पत्र और नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र (स्थायी रोजगार योग्यता प्रमाणित करते हुए) नियोक्ता/संगठन के प्रमुख का नाम आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

9. इस समय, यह न्यायालय मेजर जनरल जे.के. बंसल (सुप्रा) और मेजर आमोद कुमार (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

मेजर जनरल जे.के. बंसल (सुप्रा):

"8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में हस्तक्षेप के दायरे के बारे में कानून का ध्यान रखना उपयोगी होगा।

9. शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य [1991 सप (2) एससीसी 659: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 127: (1991) 17 एटीसी 935: एआईआर 1991 एससी 532] में अपीलकर्ता, जो प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक थीं, उनके अनुरोध पर उन स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गईं, जहां उनके पति तैनात थे। अपीलकर्ताओं द्वारा विस्थापित किए गए प्रतिवादी प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण आदेशों की वैधता को चुनौती दी, जिसे अनुमति दी गई और स्थानांतरण आदेश इस न्यायालय ने अपील स्वीकार की और उच्च न्यायालय के निर्णय को निम्नांकित टिप्पणी करते हुए निरस्त कर दिया: (एससीसी पृष्ठ 661, पैरा 4) "4. हमारी राय में, न्यायालयों को जनहित में

और प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि स्थानांतरण आदेश किसी अनिवार्य वैधानिक नियम का उल्लंघन करके या दुर्भावना के आधार पर न किए गए हों। स्थानांतरणीय पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी को एक स्थान या दूसरे स्थान पर पदस्थ रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेश उसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। यहां तक कि अगर स्थानांतरण आदेश कार्यकारी निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करके पारित किया जाता है, तो न्यायालयों को आमतौर पर आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभावित पक्ष को विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।" 11. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान [(2001) 8 एससीसी 574 : 2002 एससीसी (एलएंडएस) 21] में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें यह माना गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान पर हमेशा के लिए तैनात रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय पदों की श्रेणी या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो सार्वजनिक हित और सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता के लिए आवश्यक भी है। जब तक स्थानांतरण का आदेश सत्ता के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या किसी ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वे अपीलीय अधिकारी हों और प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे रहे हों। 12. यह ध्यान देने योग्य है कि ये निर्णय नागरिक कर्मचारियों या उन लोगों के मामले में दिए गए हैं जो

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित और संकीर्ण है। सशस्त्र बलों के सदस्य को कब और कहां तैनात किया जाना चाहिए, यह उच्च अधिकारियों को तय करना है। न्यायालयों को ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी के स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए और जब तक कोई असाधारण रूप से मजबूत मामला नहीं बनता, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।”

मेजर आमोद कुमार (सुप्रा):

“8.5. याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि पोस्टिंग किसी वैधानिक नियम, कार्यकारी नीतियों या निर्देशों का उल्लंघन है। इस संबंध में, जे.के. बंसल बनाम भारत संघ [जे.के. बंसल बनाम भारत संघ, (2005) 7 एससीसी 227: 2005 एससीसी (एल एंड एस) 932] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसका हवाला सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के वकील ने दिया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अपने कई उदाहरणों का हवाला दिया था [शिल्पी बंस बनाम बिहार राज्य, 1991 सप (2) एससीसी 659: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 127; भारत संघ बनाम एस.एल. अब्बास, (1993) 4 एससीसी 357:1994 एससीसी (एल एंड एस) 230 और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान, (2001) 8 एससीसी 574: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 21] ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालयों के हस्तक्षेप के दायरे पर विचार किया, जिसमें स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि स्थानांतरण के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ देना सबसे अच्छा है, और वैधानिक नियमों के स्पष्ट उल्लंघन या सक्षम प्राधिकारी की ओर से दुर्भावना के उदाहरण के अभाव में इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी

चाहिए। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 233, पैरा 12)

"12. ... सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित और संकीर्ण है। यह उच्च अधिकारियों को तय करना है कि सशस्त्र बलों के सदस्य को कब और कहां तैनात किया जाना चाहिए। न्यायालयों को ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी के स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए और जब तक कोई असाधारण रूप से मजबूत मामला नहीं बनता है, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।" याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के खिलाफ किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार नहीं किया जा सकता। 8.6. प्रतिवादियों ने कमीशनिंग के समय अधिकारियों और सिपाहियों को समान रूप से दिलाई जाने वाली शपथ का संदर्भ दिया है। उक्त शपथ संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है: "मैं (नाम) सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, जैसा कि विधि द्वारा स्थापित है और मैं अपने कर्तव्य के रूप में ईमानदारी और निष्ठा से भारत संघ की नियमित सेना में सेवा करूँगा और जहाँ भी आदेश दिया जाएगा, भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से जाऊँगा और मैं भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी आदेशों और अपने से ऊपर के किसी भी अधिकारी के आदेशों का पालन करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।" (जोर दिया गया) यह शपथ सभी कार्मिकों को दिलाई जाती है, चाहे वे जिस भी शाखा या सेवा में नियुक्त हों। शपथ के अनुसार, कार्मिक जहाँ भी आदेश दिया जाता है, वहाँ सेवा करने के लिए बाध्य हैं।"

10. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता भारतीय वायुसेना में सेवारत है और अनुरोध के अनुसार 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पहले से ही सह-स्थान पर तैनात था और उसके बाद दिनांक

08.02.2024 के स्थानांतरण आदेश से संबंधित प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता का दावा कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर पोस्टिंग का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि वायु योद्धा को विभिन्न स्थानों पर पोस्ट किया जाना आवश्यक है और गृह क्षेत्र पोस्टिंग से संबंधित मामले पर अनुकंपा के आधार पर विचार किया जा सकता है, वह भी योग्यता के आधार पर, आम तौर पर सीमित अवधि के लिए।

11. इस प्रकार, 2022 की नीति और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 04.04.2024 का विवादित आदेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य है।

12. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि वायुसेना सशस्त्र बलों की एक लड़ाकू शाखा और पॉलिसी को जीवनसाथी के कल्याण के साथ जोड़ने को बहुत सख्त अर्थ नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह सशस्त्र बलों की आवाजाही से संबंधित संगठनात्मक आवश्यकता द्वारा संचालित व्यापार प्रवीणता उपयोग (टीपीयू) के उद्देश्य को विफल कर देगा। वायु सेना का विवेक हमेशा कल्याण नीति से अधिक होता है, और इस प्रकार, इस तरह के विवेक का कल्याण नीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, अधिकार के रूप में ऐसी नीति के कार्यान्वयन की मांग करते समय ऐसे विवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती।

13. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है, और तदनुसार, इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 04.04.2024 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। यद्यपि वर्तमान आदेश के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता

को जोधपुर (राजस्थान) से दरभंगा (बिहार) स्थानांतरित करने के लिए दिनांक 08.02.2024 का स्थानांतरण आदेश पुनः लागू हो गया है, लेकिन इसके बाद से समय बीतने के कारण, यदि प्रशासनिक आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, तो अपीलकर्ताओं को नए सिरे से स्थानांतरण आदेश पारित करना होगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(योगेंद्र कुमार पुरोहित), जे.

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।